राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4633/2022

अनिता बाई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, झुंझुंनू (राज.)।
5. चिकित्सा अधिकारी, उप केन्द्र, Lambi Ahir, ब्लॉक बुहाना, जिला झुंझुंनू (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.09.2022
आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर लाम्बी अहिर, बुहाना, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र, नेहरों की नाडी, बाडमेर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशेष/आदेशों की प्रतीक्षा की सूची जारी किए बिना किया गया है और आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया जबकि अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है। उसका स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के

किया गया है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के लिए कभी कोई आवेदन नहीं दिया, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया और उसे ना तो यात्रा भत्ता और ना ही योगकाल दिया गया। इस प्रकार आलोच्य आदेश स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर लाम्बी अहिर, बुहाना, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि स्थानान्तरण जनहित में किया गया है। हमारे विनम्र मत में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को यात्रा

भत्ता एवं योगकाल अनुज्ञेय है। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)